प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

योजना की विशेषताएं

योजना का उद्देश्य

- पीएमएफबीवाई का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
- किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- यह कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करता है

I. यह योजना सभी किसानों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित उनकी फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है ।

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बंटाईदार और किराएदार किसानों समेत सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं।

✓ किसानों का अधिसूचित / बीमित फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए।

✓ यह योजना ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाई गई है।

✓ सभी किसान जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए मौसमी कृषि संचालन ऋण अर्थात किसी वित्तीय संस्था (सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक आदि) से ऋण लिया है अर्थात ऋणी हैं और जिन्होंने अंतिम तिथि से 7 दिन पहले योजना से बाहर आने का विकल्प नहीं चुना है, वे अपने वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना के तहत नामांकन के पात्र होंगे। फिर बैंक/ सीएससी / मध्यस्थ, भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर www.pmfby.gov.in पर अंतिम तिथि के अंदर किसानों को नामांकित करेंगे।

✓ गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित भूमि अभिलेखों (अधिकार पत्र (आरओआर),भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र (एलपीसी) इत्यादि और / या लागू अनुबंध/ समझौते के विवरण / अन्य दस्तावेज (बटाईदार / किरायेदार किसानों के मामले में) जिन्हे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित / अनुमति दी गयी हो; को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं।

किसी भी अधिसूचित बीमा इकाई में किसी भी अधिसूचित फसल के लिए पीएमएफबीवाई योजना के तहत बीमा कराने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान और खेती करने वाले कृषक अंतिम तिथि के भीतर निकटतम बैंक शाखा/ पैक्स / अधिकृत चैनल पार्टनर/ बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थ से संपर्क कर सकते हैं, निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर साथ में भूमि / फसल के बीमा के लिए बीमा योग्य हित के बारे में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे स्वामित्व/ किरायेदारी/ खेती के अधिकार) के साथ बैंक शाखा/ बीमा मध्यस्थ/ सीएससी केंद्रों में अपेक्षित प्रीमियम जमा करें ।

✓ कवरेज के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलना/ संचालित करना चाहिए, और विवरण प्रस्ताव फॉर्म में होना चाहिए।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

- ✓ किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि की पहचान संख्या का उल्लेख करना चाहिए और खेती योग्य भूमि के कब्जे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करना चाहिए। कृषक को क्षेत्र बुवाई पुष्टिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- ✓ किसान को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे केवल एक ही माध्यम से भूमि के टुकड़े में उगाई गई/ उगाने के लिए प्रस्तावित अधिसूचित फसल (लों) के लिए बीमा कवरेज प्राप्त हो। किसी डुप्लिकेट या दोहरे बीमा की अनुमति नहीं है और ऐसे किसी भी मामले में किसान कवरेज का पात्र नहीं होगा। बीमा कंपनी ऐसे सभी दावों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेगी और ऐसे मामलों में प्रीमियम भी वापस नहीं करेगी।

- ✓ कंपनी ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

- ✓ फसल योजना में कोई बदलाव अंतिम तिथि से कम से कम 2 दिन पहले बैंक के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

- ✓ बीमा प्रस्ताव केवल राज्य स्तरीय समन्वय समिति / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्वीकार किए जाते हैं।

II. कवर की गई फसलें

सभी फसलें जैसे खाद्य और तिलहन की फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक/ बागवानी फसलें इस योजना के अंतर्गत आती हैं जिनकी पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं।

बारहमासी फसलों के अलावा, कवरेज के लिए उन बारहमासी बागवानी फसलों को प्रायोगिक आधार पर लिया जा सकता है; जिसकी उपज अनुमान की मानक पद्धति उपलब्ध है।

III. योजना के तहत जोखिम कवरेज और बहिष्करण

यह योजना संबंधित राज्य / केंद्रशासित राज्य की फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में किए गए निर्णय के अनुसार चयनित फसल आधार पर परिभाषित क्षेत्रों में "क्षेत्र दृष्टिकोण" के सिद्धांत पर संचालित होती है जिसे बीमा इकाई (आईयू),कहा जाता है। इन इकाइयों को ग्राम / ग्राम पंचायत या प्रमुख फसलों के लिए किसी अन्य समकक्ष इकाई पर लागू बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अन्य सभी फसलों के लिए यह ग्राम / ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर की इकाई हो सकती है।

फसल के निम्नलिखित चरणों और फसल हानि के जोखिमों को भी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

a. निष्कल बुवाई / रोपण जोखिम किसी अधिसूचित क्षेत्र की अधिकांश बीमित प्रतिकूल मौसम की स्थिति जैसे कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई/ रोपण से उसके बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

b. खड़ी फसल (फसल कटाई): न रोकने योग्य जोखिमों अर्थात अकाल, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीट और रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक अग्नि और बिजली गिरना, आंधी, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान, तेज़ हवा, झंझावत और बवंडर के कारण उपज हानि को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

c. कटाई पश्चात नुकसान: कवरेज केवल उन फसलों के लिए कटाई से दो सप्ताह की अधिकतम अवधि तक उपलब्ध है, जिन्हें चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के खिलाफ कटाई के बाद खेत में कटने और सूखने की स्थिति में सूखने दिया जाता है।

फसल के बाद के नुकसान और स्थानीय जोखिमों के कारण फसल क्षति से उत्पन्न होने वाले दावों के लिए, जो देश भर में चक्रवात या चक्रवाती बारिश/ बेमौसम बारिश के कारण उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप केवल सुखाने के एकमात्र उद्देश्य से 'कटाई और फैलाने' की स्थिति में खेत में पकी हुई फसल को नुकसान हुआ, कटाई से अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) तक भी कवर किया जाता है और क्षति का आकलन व्यक्तिगत आधार पर किया जाएगा।

d. स्थानीय आपदाएँ: अधिसूचित क्षेत्र में अलग थलग खेतों में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग के स्थानीय जोखिमों की घटना से होने वाली हानि/ क्षति।

नोट: युद्ध और परमाणु जोखिमों से उत्पन्न होने वाले नुकसान, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोके जाने योग्य जोखिमों को बाहर रखा जाएगा।

IV. विभिन्न फसलों के लिए लागू क्षतिपूर्ति स्तर

कवरेज विभिन्न क्षेत्रों में 70%, 80% और 90% तक उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम स्तर के अनुरूप प्रदान किया जाता है, क्रमशः, फसलों के प्रकार के आधार पर और अधिसूचित इकाई के अनुसार फसलों और क्षेत्रों के लिए अधिसूचित किया जाता है।

V. प्रीमियम

किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम सभी खरीफ खाद्य और तिलहनी फसलों के लिए 2%, रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसलों के लिए 5%, या बीमांकिक प्रीमियम दर जो भी कम हो, के लिए होगा। किसानों द्वारा देय प्रीमियम और बीमा शुल्क की दर के बीच का अंतर केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

- Note: राज्य सरकार की अधिसूचना में परिभाषित ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए मौसमी अनुशासन लागू होगा और मौसम में संबंधित फसल के लिए लागू निर्दिष्ट कट ऑफ तारीखों से पहले किसानों को आवश्यक रूप से नामांकन करना होगा।

- थ्रेशोल्ड यील्ड (टी) मापदंड उपज स्तर होगी, जिस पर किसी बीमा में सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी।

- इंश्योरेंस यूनिट (IU) में अधिसूचित फसल की औसत उपज पिछले सात वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होगी।अधिसूचित फसल की थ्रेसहोल्ड पैदावार औसत स्तर के बराबर है जो क्षतिपूर्ति स्तर से कई गुना अधिक है।

VI. दावा निपटान के आधार

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX

दावा भुगतान का क्षेत्र निम्नलिखित के अधीन क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा:

a. राज्य को अधिसूचित बीमा इकाई क्षेत्र के स्तर पर फसल कटाई प्रयोग (CCEs) की अपेक्षित संख्या का संचालन करना है और CCE आधारित उपज का डेटा संबंधित अधिसूचित बीमा क्षेत्र को देय दावों की गणना करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा कंपनी को प्रस्तुत करना होगा।

b. फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) प्रति इकाई क्षेत्र/ प्रति फसल पर स्लाइडिंग पैमाने पर किए जाएंगे जैसा योजना की रूपरेखा और परिचालन दिशानिर्देशों के तहत है।

c. स्मार्ट सैंपलिंग तकनीक (एसएसटी) जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान, सीसीई की अखंडता को जीपीआरएस सक्षम मोबाइल स्मार्ट फोन का उपयोग कर सत्यापित करने और जीओआई ऐप द्वारा नुकसान का आकलन और रीयल टाइम डेटा एनसीआईपी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए।

d. फसल क्षति के आकलन के लिए सीसीई पर निर्भरता में कमी और प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता।

e. राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों को भुगतान निपटान और प्रॉक्सी संकेतकों के उपयोग के उद्देश्य से स्वचालित मौसम नेटवर्क की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

f. थ्रेसहोल्ड यील्ड (TY) बेंचमार्क यील्ड लेवल होगा, जिस पर बीमा कृत यूनिट के सभी बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी , अधिसूचित फसल का थ्रेसहोल्ड होगा, इंश्योरेंस यूनिट (IU) में अधिसूचित फसल की औसत यील्ड पिछले सात वर्षों में सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्षों की औसत उपज होंगी अधिसूचित फसल की थ्रेसहोल्ड पैदावार औसत स्तर के बराबर है जो क्षतिपूर्ति स्तर से कई गुना अधिक है।

महत्वपूर्ण नोट:

1. किसान इस योजना के तहत अपनी निकटतम बैंक शाखाओं , निकटतम सीएससी केंद्र या आईआरडीए द्वारा अधिकृत बिमा मध्यस्थ के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं।

2. सभी नामांकनों को आवश्यक रूप से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पूरा किया जाता है एवं बैंक या मध्यस्थ द्वारा प्रीमियम राशि बिमा कंपनी में परभाषित अंतिम तिथि के भीतर जमा करने की आवश्यकता है।

3. यदि किसान फसल को बदलता है , तो उसे बिमा कंपनी को वित्तीय संस्थान / चैनल पार्टनर / बिमा मध्यस्थ एवं स्वय के माध्यम से बुवाई के कम से कम ०२ दिन पहले सूचित करना चाहिए ; राज्य के संबंधित गावं / उप-जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जारी बुवाई प्रमाणपत्र के साथ , अंतरिम प्रीमियम देय , यदि कोई हो। यदि प्रीमियम का भुगतान अधिक था , तो बिमा कंपनी अतिरिक्त धन वापसी करेंगी।

4. किरायेदार , बटाईदार किसानों को कवरेज प्राप्त करने के मामले में (ROR) भूमि अधिग्रहण प्रमाणपत्र (LPC) आदि के राज्य रिकार्ड्स में प्रचलित भूमि अभिलेखों के आवश्यक दस्ताऐवजी सबूत / या लागु अनुबंध / अनुबंध विवरण / अन्य दस्तवेजों द्वारा अधिसूचित / अनुमत संबंधित दस्तावेजों को नामांकन के समय प्रदान की जाना चाहिए।

5. इस योजना के लिए सेवाकर छूट दी गई है।

HDFC ERGO General Insurance Company Limited. IRDAI Reg. No.146. CIN: U66030MH2007PLC177117. Registered & Corporate Office: 1st Floor, HDFC House, 165-166 Backbay Reclamation, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai – 400 020. For more details on the risk factors, terms and conditions, please read the sales brochure/ prospectus before concluding the sale. Trade Logo displayed above belongs to HDFC Ltd and ERGO International AG and used by the Company under license. UIN: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- IRDAN125P0003V01201617 UID-XXXX